

कार्यालय : जिला कलेक्टर, लखनऊ

पत्रांक 1657/अ.जि.अ.(भू.अ.)शा0स0परि0, कलेक्ट्रेट, लखनऊ दिनांक:-10/01/2019
: निविदा :

जनपद लखनऊ में कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर (ए0टी0एस0) की स्थापना हेतु ग्राम अनौरा व बेहटवा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जनपद	प्रस्तावित भूमि (हे0 में0)
1	अनौरा	सरोजनीनगर	लखनऊ	11.667हे0
2	बेहटवा	सरोजनीनगर	लखनऊ	15.4166हे0

उक्त भूमि के अर्जन से पूर्व "भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016" के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन (Social Impact Assessment) करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी/अन्य संस्थान/गैरसरकारी संस्थान/ विश्वविद्यालयों आदि से, उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमन्त्रित की जाती है।

1- पात्रता :-

- अ- सामाजिक समाघात आकलन (Social Impact Assessment) करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी संस्थान/विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- ब- इच्छुक गैर सरकारी संस्थान प्रश्नगत अधिनियम में कम्पनी/सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हो अथवा कम से कम पिछले पांच वर्ष पूर्व से किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में पंजीकृत हों।
- स- संस्थान के पास पर्याप्त मानव संसाधन जिसमें योग्य स्तर के प्रबंधन के लिये उपयुक्त व्यक्ति, जो शीर्ष और मध्यम स्तर के प्रबंधन स्तर पर कुशल कार्य कर रहे हों।
- द- संस्थान के पास पेशेवर प्रबंधन, अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री/मानव वैज्ञानिक आदि होने चाहिए, जिसका विवरण आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।
- य- पूर्व में जिन्होंने सामाजिक समाघात अध्ययन किया हो, ऐसे संस्थान को वरीयता दी जायेगी।

2- आवेदन का प्रारूप :- संस्थान द्वारा किये गये आवेदन में संस्थान की संरचना का विवरण शामिल होना चाहिए जो सामाजिक प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन करने के लिये जिम्मेदार होगा। आवेदन के साथ सामाजिक प्रभाव अध्ययन या इसी तरह के जुड़े पूर्व में किये गये अध्ययनों का विवरण दिया जाय जिसमें परियोजना के सम्बन्ध में अध्ययन किये जाने सम्बन्धी समय और स्वरूप का विवरण विस्तार से हो।

3- पात्रता का चयन :- प्राप्त कुल आवेदनों का मूल्यांकन संस्थान द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर किया जायेगा। इस कार्य हेतु उपलब्ध स्टाफ, कार्यरत विशेषज्ञों तथा प्रस्तावित कार्यक्षेत्र अथवा अन्य प्रकार की परियोजनाओं हेतु किये गये पूर्व अध्ययन को शामिल किया जायेगा। अतः संस्था द्वारा इसका विवरण अवश्य अंकित किया जाय।

- 4- संस्थान के चयन को निरस्त के लिये किसी भी कारण का बताया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
- 5- इच्छुक संस्थानों के आवेदन पूर्ण विवरण के साथ कार्यालय में अथवा पंजीकृत डाक से दिनांक-30.01.2019 सायं 3.00 बजे तक निम्न पते पर स्वीकार किये जायेंगे एवं प्राप्त निविदाएं दि०-30.01.2019 को सायं 4.00 बजे कक्ष सं० 49, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में खोली जायेंगी। निविदादाता की तत्समय उपस्थिति अपेक्षित है।
कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ/अपर जिलाधिकारी (भू०अ०-1),
शारदा सहायक परियोजना, कक्ष संख्या-40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 6- आवेदक द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। वित्तीय मूल्यांकन हेतु सामाजिक समाघात (Social Impact Assessment) अध्ययन किये जाने के लिए संस्थान द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण (कर सहित) अलग सीलबन्द लिफाफे में दिया जाना होगा। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- नोट : प्रस्तावित भूमि का पूर्ण विवरण यथा खसरा/क्षेत्रफल/प्रभावित व्यक्ति/मानचित्र आदि अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), शारदा सहायक परियोजना कलेक्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

जिला कलेक्टर,
लखनऊ।

कौशल राज शर्मा
जिलाधिकारी
लखनऊ